

No. 2/2/2017-Waqf
Government of India
Ministry of Minority Affairs

11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan ,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003

Dated the 30th January, 2018

To

The Principal Secretary / Secretary,
Minority Welfare Department,
All State / UT Governments

Subject: Change of name of former Scheme of "Computerization of Records & Strengthening of State Waqf Boards " into "Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme".

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even no. dated 13th October, 2017 forwarding therewith a revised Scheme of "Computerization of Records & Strengthening of State Waqf Boards". The name of the above stated scheme has now been changed to **Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme (QWBTS)** and a copy each in English & Hindi of the Scheme with the new name is **enclosed**.

2. It is also informed that except the name, no other changes in the contents of the former scheme, which was circulated on 13.10.2017, have been made.

3. It is requested that the change in the name of above scheme may kindly be brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

Encl: As above


(Nijamuddin)

Deputy Secretary to the Government of India

Tele: 24364279

Copy to:

1. MD, NAWADCO, New Delhi
2. The Secretary, CWC, New Delhi
3. CEO, All State / UT Waqf Boards
4. DDG, NIC, CGO Complex, New Delhi
5. PS to Minister (MA)
6. PSO to Secretary (MA)
7. PS to JS (Waqf)
8. Senior Technical Director (NIC), MoMA, He is requested to upload the Scheme on the website of this Ministry.



QUAMI WAQF BOARD TARAQQIATI SCHEME

[Former Scheme of Computerization of Records and Strengthening
of State Waqf Boards]

(2017-2020)



सत्यमेव जयते

**Government of India
Ministry of Minority Affairs**

October 2017

QUAMI WAQF BOARD TARAQQIATI SCHEME*

[Former Scheme of Computerization of Records and Strengthening of State Waqf Boards]

1. Background

1.1 The Joint Parliamentary Committee (JPC) on Waqf in its 9th Report had recommended computerization of the records of State Waqf Boards at an estimated cost of Rs.25 Crore. Accordingly, the scheme was formulated by the Ministry and was launched in December, 2009

1.2 JPC had also recommended for strengthening of the infrastructure and institutional capacity of the State Waqf Boards so that they can effectively administer and manage the waqf properties for the benefit of the muslim community. The Scheme for Strengthening of State Waqf Board was accordingly formulated and is being implemented from 2013-2014 onwards.

2. Need for modification in the existing schemes

2.1 The implementation of both the above Schemes was reviewed with the State Governments and State Waqf Boards on 7.1.2017. Thereafter, both the Schemes were got evaluated through National Institute of Labour Economics Research & Development (NILERD), New Delhi. Among other recommendations, NILERD was of the view that both the above Schemes needs to be continued so that all the components of the schemes are completed.

2.2 Based on the feedback received from the States and findings of the evaluation study on both the Schemes, it has been decided to formulate a single modified Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme. Under this umbrella scheme, both the existing schemes will have modified provisions so as to achieve the laid down objectives.

3. Components of the Umbrella Scheme

The Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme will have two distinct components each for the computerization of records as well as for the strengthening of State Waqf Boards. The objectives, provisions, financial

[* Except name, no other changes have been made in the contents of the former scheme.]

assistance etc. of each component is described in the succeeding paras.

4. Computerization of Records of State Waqf Boards

4.1. Objective

4.1.1 The Waqf properties are spread out all over the country but even the basic survey of Waqf properties has not been completed in many States. There is hardly any development of Waqf properties and a very substantial income that the Waqf properties could have generated for the welfare schemes of the community are lost because of non development and large scale encroachment of Waqf properties. Therefore, to streamline record keeping, introduce transparency, and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, Joint Parliamentary Committee on Waqf, in its Ninth Report, recommended computerization of the records of the State Waqf Boards and Central financial assistance to the these Boards.

4.1.2 The broad objectives of computerizing the records of the State Waqf Boards are:

- Properties Registration Management
- Muttawalli Returns Management
- Leasing of Properties Management
- Litigations Tracking Management
- Documents Archiving & Retrieval Management
- GIS of Waqf Properties
- Funds Management to Mosques, Durgah, Kabristan, Imams, Muazzins, widows, girls marriages, scholarships, schools, hospitals, Dispensaries, Musafirkhanas, skill Development Centres etc.
- Management for Development of Urban Waqf properties
- Compliance of Right to information Act 2005.

4.2 Phase-wise Objectives :

The phase-wise objectives of computerization scheme are as under:

Phase-I: Data entry of waqf properties :

- Cross checking of Waqf data from various computer data base maintained at the state level, such as by Revenue Departments etc.
- Improving office efficiency and preparation of timely reports on various administrative matters.
- Creation of a centralized and web-enabled data base for use by various stake holders.
- Properties Registration Management of Waqf Boards.
- Muttawalli Returns Management system.
- Leasing of Properties Management system.
- Litigations Tracking Management system.
- Documents Archiving & Retrieval Management system.

Phase II: Better administration of Waqf Boards :

- GIS of Waqf Properties to develop coordinates to prevent encroachment.
- Computerisation of other peripheral activities of the State Waqf Boards (Pay and Accounts, Establishment, Administration, CR etc)
- Funds Management to Mosques, Durgah, Kabristan, Imams, Muazzins, widows, scholarships, schools, hospitals, Dispensaries, Musafirhanas, Skill Development Centres etc.
- Loans Management for Development of Urban Waqf properties.
- Right to information Act compliance.
- Ensuring timely detection of reports on encroachment of Waqf properties.
- Digitization of all the manual records, deeds and legal documents.
- Standardization and automation of Waqf registers.
- Implementation of a web based centralized application for Waqf Management.

- Any other subject deemed fit for computerization to enhance office efficiency.

4.3 Scope, Eligibility & Finance:

4.3.1 The scheme of computerization is uniformly applicable across all the 32 State Waqf Boards. The Grant-in -Aid was released to the State/UT Waqf Boards for setting up of Centralized Computing Facility (CCF). It also encompassed a handholding support for two years to hire some computer personnel by State/UT Waqf Boards.

4.3.2 Under the Scheme, NIC was provided assistance earlier for development of the software named Waqf Management System of India (WAMSI). NIC has already launched the web-portal named WAMSI consisting of four modules named Registration, Return, Leasing and Litigation modules. All the 32 Waqf Boards have set up their CCF and have started entering data in the four modules of the software 'WAMSI'.

4.3.3 As on 31.07.2017, entry of 3,12,196 of Waqf estates out of 3,32,919 Waqf estates have been entered in WAMSI on-line Registration Module. Entry of 20,897 waqf properties in WAMSI Return Module, 10,164 waqf properties in WAMSI Leasing Module, and 7,269 litigation cases in WAMSI Litigation Module have also been entered. Further, Pre-digitization work of 2,90,945 waqf properties has also been completed.

4.3.4 In spite of having released funds to all the SWBs for setting up of CCF and hand holding support, it has been noticed that the progress of the scheme is not satisfactory even after continuous review and monitoring by the Ministry. While about 94% work relating to registration of waqf properties has been completed, the work relating to remaining three modules has not progressed satisfactorily. With a view to ease the bottlenecks, it was decided during the last Plan period that funds will be released to CWC for completion of the balance work under Phase-I consisting of setting up of CCF and data entry in all the four modules. Accordingly, as per the provisions of the scheme implemented during the 12th Plan,

CWC had outsourced the work for speeding up the work in all the four modules.

4.4. GIS mapping:

4.4.1. The Waqf Act, 1995 has been amended and the Waqf (Amendment) Act 2013 has been implemented w.e.f. 1st November, 2013. Section 54 of the Waqf Act has provision for removal of encroachment from the waqf properties. The Chief Executive Officer of the Waqf Board has been empowered in removing encroachment from waqf properties by applying to the Waqf Tribunal for grant of order of eviction from the waqf properties. The State government is responsible for enforcement of order made under Section 54. After removal of the encroachment, the Chief Executive Officer would dispose of the property left on the waqf properties by unauthorized occupants. The Board may also need to fence the property from which the encroachments has been removed.

4.4.2 During the years 2017-2020, the scheme intends to complete GIS mapping of 50% of all the Waqf properties and also, all the remaining data entry work in the all four modules of WAMSI online portal.

4.4.3 The GIS mapping of the Waqf properties would help in identification and removal of encroachment from these properties. Therefore, GIS Mapping of all the Waqf Properties is required to be done.

4.4.4 For implementation of the above provisions, the Waqf Boards will need financial support. Therefore, it has been proposed that for GIS mapping, financial assistance @ Rs. 550/- each Waqf property will be provided to SWBs. Selection of agencies to carry out this work for SWBs will be done by CWC in cases where the concerned SWBs are not able to find a suitable agency within the State. For approximately 5.63 lakhs Waqf properties spread all over India, total expenditure towards GIS mapping would be Rs.31.00 crore. It is felt that GIS mapping of such large number of waqf properties cannot be completed in the three years period 2017-2020. As such, the projected expenditure of Rs. 31.00 crore is proposed to be spent over a period of five years i.e during 2017-2018 to 2021-2022. For

the years during 2017-18 to 2019-2020, it is intended to cover GIS mapping of 10%, 20% and 20% waqf properties respectively each year at the total cost of Rs. 15.39 Crore. It will be the prerogative of the SWBs to decide the GIS mapping work of waqf properties as per their priorities but the GIS work should be fairly spread in urban as well as rural area. The remaining work of 50% of GIS mapping of waqf properties involving expenditure of Rs.15.50 Cr would be completed during the years 2020-2021 and 2021-2022.

4.5. Entry in the WAMSI Portal:

4.5.1 The following activities which are pending, would be completed by 31.03.2020:

- a) Data entry in WAMASI on line system and documents scanning & Metadata Entry for importing into WAMASI DMS System by adhering to the guidelines issued by NIC-PMU (Waqf) from time to time, under the overall guidance of State Waqf Board nominated Nodal Officer.
- b) Collection of Waqf Properties Data on the formats compatible with WAMASI on line system from fields; and
- c) Collection of the ownership establishing documents for each Waqf Estates from the Mutawalli, if any.

4.5.2 The module wise work to be completed is given below:-

1.	Registration module	=	As per actual available with the SWBs
2.	Return Module	=	As per actual available with the SWBs
3.	Leasing module	=	As per actual available with the SWBs
4.	Litigation module	=	As per actual available with the SWBs
5.	Documents archiving & Retrieval	=	As per actual available with the SWBs

4.5.3. The tentative targets fixed for completion of the remaining work in all the above modules will be as below :

Activity	Tentative Target date of completion
i) Data Entry in WAMSI Registration modules	July, 2018
ii) Data Entry in WAMSI Leasing module	June, 2019
iii) Data Entry in WAMSI Return module	Dec, 2019
iv) Data Entry in WAMSI Litigation module	Dec, 2019
For this purpose, ERP solution for office automation will be provided by CWC to all SWBs by March 2020. For GIS mapping, all the SWBs are required to complete the work relating to 50% Waqf properties consisting collection of GIS coordinates and uploading all the data on the WAMSI online portal by March 2020.	

4.5.4 With a view to facilitate SWBs to complete the data entry work in the WAMSI module as per target schedule indicated above, the following manpower has been proposed for carrying out Data entry in all the four modules of WAMSI portal during the period 2017-2020:

- (a) 4 Asstt Programmers @ 15000 per month for 3 SWBs which are having more than 50,000 Waqf Properties as on 31.7.2017 ;
- (b) 3 Asstt Programmers @ 15000 per month for 9 SWBs which are having more than 20000 & less than 50,000 Waqf Properties as on 31.7.2017;
- (c) 2 Asstt Programmers@ 15000 per month for 2 SWBs which are having more than 6000 & less than 20,000 Waqf Properties as on 31.7.2017
- (d) 1 Asstt Programmer @ 15000 per month for 18 SWBs which are having less than 6,000 Waqf Properties as on 31.7.2017

4.5.5 Provision for monitoring of scheme by setting up of Project Management Unit; maintenance of Centralized Computing Facility in SWBs; ERP solution software; video conferencing facility and WAMSI software maintenance by NIC etc has been made in the scheme as per details given

below :

(a) Provision of Rs. 181.90 Lakhs for three years has been made for WAMSI Software maintenance, enhancement and technical support and the funds will be released for this purpose to NIC by CWC;

(b) Maintenance of Centralized Computing Facility (CCF) in 32 SWBs @ Rs. 3 Lac per year for 14 SWBs having more than 6000 Waqf Properties as on 31.7.2017 ; and @ Rs. 2Lac per year for 18 SWBs having less than 6000 Waqf Properties as on 31.7.2017. Funds will be released in instalments for maintenance of CCF by CWC after scrutinizing the detailed proposal submitted by SWBs.

(c) One time grant for ERP Solution Software for better administration of 32 SWBs @ Rs.3 Lac per Waqf Board would be provided to CWC . For this purpose, funds would be provided to CWC for 10, 10 and 12 SWBs in financial years 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 respectively;

(d) One time grant for setting up of Video Conference facility in 32 SWBs @ Rs. 4 lakh per Waqf Board . Funds would be provided to 10, 10 and 12 SWBs in financial years 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 respectively. For monitoring the scheme on monthly basis, funds of Rs.10.00 lakh for setting up of Central Video Conference Facility would be released to CWC during 2017-2018.

4.5.6 With a view to provide flexibility to SWBs to meet expenditure on various components of this Scheme as per their actual requirement, SWBs with prior approval of CWC would be at liberty to divert the funds sanctioned for specific component to any other components if SWBs are of the view that funds for that particular component is not required.

4.5.7 In order to encourage the Muttawalis/Management Committees to adopt best practices in computerization of their operations, provision of cash award, momento and citation to 10-12 best performing entities every year has also been made. The detailed criteria for evaluation and selection will be devised in due course. The assessment of SWBs will be done by CWC and the expenditure in this regard will be met by CWC from the administrative expenses being provided under para 10 of the scheme.

4.5.8 For monitoring the progress of data entry in WAMSI Portal, CWC will set up a Project Management Unit (PMU) having one Senior Associate @ 35000/-

p.m. and one Junior Associate @ of Rs. 25000/-p.m. That unit will be stationed in MoMA. The remuneration to be paid to each person would be enhanced by 5% every year to mitigate the inflation.

4.6. Release of funds

The Central Waqf Council will be the Nodal Agency for implementation of computerization scheme who has been entrusted under the Waqf Act, 1995 to monitor the functioning of the State Waqf Boards. Funds under the Scheme would be released to the Central Waqf Council by the MoMA which, in turn, would release the funds to SWBs/NIC in two instalments etc. after following due procedure and guidelines under GFRs. The Utilization Certificate will be forwarded by the Central Waqf Council to the Ministry of Minority Affairs after obtaining these UCs from SWBs in the format provided in the GFR.

5. Strengthening of State Waqf Boards

5.1. Objective

The primary responsibility of administration of auqaf vests with the State Governments. The assistance to the State Governments for strengthening their Waqf Boards should result in a more transparent and accountable administration and management of their waqf properties and allow improvement in income generation and attaining self-sufficiency. Further, such funds should be provided subject to certain conditions that will ensure that the functioning and institutional capacity of the State Waqf Boards improve their income generation and become self-sufficient. Improvement in their capabilities will facilitate enhancement in their income that will reduce, and over the period of time, eliminate their dependence on outside financial support.

5.2. Scope, Eligibility & Finance

5.2.1 The scheme would consist of three components. Under **Component-I**, funds would be provided to State Waqf Boards for meeting the administrative costs of their establishments. Under **Component-II**, funds would be provided to build capacities of Mutawalli and Management Committees for implementing the provisions of the Waqf properties Lease Rules, 2014; purchasing of Account Software, Stationery / Consumables and to the Survey

Commissioner to facilitate survey of waqf properties. Under **Component-III**, funds would be provided for strengthening of zonal/regional level offices keeping in view the number of waqf properties in the State.

5.2.2 The grants-in-aid would be provided to State Waqf Boards who fulfill the following conditions:

- a) Have a legally constituted Waqf Board;
- b) Have a CEO in position;
- c) Ensure up-to-date conduct of audit of the accounts of the Board by auditor(s) appointed under authority;
- d) Ensure up-to-date audit of the accounts of GIA provided by the Ministry; and
- e) Have a time-bound plan drawn up and approved, to ensure that survey of all waqf properties and registration of the properties so surveyed with the land revenue or local authorities are completed.

5.2.3 To ensure that items (c) to (e) above are met, there is a felt-need that the cost of the establishments of the State Waqf Boards needs to be partly provided by the Central Government. Each State Waqf Board will require a strong legal, accounting and administrative wing. Existing personnel in the Boards should be sent for orientation/training courses to help them acquaint themselves with the latest developments in their areas of work especially in relation to the Waqf Act, 1995 and the Waqf Properties Lease Rules, 2014.

5.3. Components of the proposed scheme :

The three components of the proposed Scheme shall be as follows:

5.3.1 Component- I:

Under Component-I, the total support from the Government to each of the 15 Boards having more than six thousand and above waqf properties as on 31.7.2017, will be Rs.16.50 Lakh per year. For 16 smaller State Waqf Boards with less than six thousand waqf properties as on 31.7.2017, the assistance from the Government will be Rs.9.60

Lakh per year. Under this Component, Office-cum-Legal Assistant @ Rs.30,000/- each p.m. and Accountant @ Rs.30,000/- each p.m. have been fixed and a Legal Support Officer @ Rs. 40,000/- p.m. has been fixed to be provided to the SWBs to supplement their strength. The remuneration to be paid to each person would be enhanced by 5% every year to mitigate inflation. The basis of remuneration to be paid to these staff for the various Waqf Boards is given at **Annexure-I**.

5.3.2 Component -II

5.3.2.1 The Waqf Act, 1995 has been amended and the Waqf (Amendment) Act, 2013 has been implemented w.e.f. 1st November, 2013. Section 54 of the Waqf Act has provision for removal of encroachment from the waqf properties. The Chief Executive Officer of the Waqf Board has been empowered in removing encroachment from waqf properties by applying to the Waqf Tribunal for grant of order of eviction from the waqf properties. The State government is responsible for enforcement of order made under Section 54. After removal of the encroachment, the Chief Executive Officer would dispose of the property left on the waqf properties by unauthorized occupants. The Board may also need to fence the property from which the encroachments has been removed.

5.3.2.2 Further, the Central Govt. has notified the Waqf properties Lease Rules, 2014. Mutawallis and Management Committees have to adopt and implement these rules for their respective properties. In order to build capacities of such mutawalli and Management Committees, it is proposed to provide assistance @ Rs. 2.00 lakh per annum for each SWBs to CWC. This assistance will be available only for 20 SWBs having one thousand or more waqf properties as on 31.7.2017. For providing training to Mutawallis and Management Committees, CWC will prepare an Annual Plan well in advance and will circulate to the SWBs. The training programme will be conducted in coordination with SWBs in mutually agreed formats.

5.3.2.3 Further, to ensure that survey of Waqf properties is conducted smoothly, it is proposed to provide financial assistance @ Rs. 3.00 lakh and Rs. 2.00 lakh per annum each to SWBs, having more than/less than six thousand waqf properties as on 31.7.2017

respectively, which in turn will provide the allocated funds to the Survey Commissioner to facilitate expeditious completion of work relating to survey of waqf properties.

5.3.2.4 Further, an amount of Rs. 1.00 lakh each for SWBs having more than six thousand waqf properties as on 31.7.2017 and Rs.75,000/- each for remaining SWBs has been proposed to be provided annually for stationery/ consumables.

5.3.3 Component -III

5.3.3.1 The grants-in-aid under this Component would be provided for strengthening Zonal Waqf Board Offices (ZWBO) for those State Waqf Boards who have to cater to a large number of waqf properties spread over vast areas. Manpower hired for a ZWBO would be keeping in view the spread of the number of waqf properties to be administered by State Waqf Board. One Zonal Waqf Officer and one Survey Assistant would be provided for each Zonal Office. Manpower for one zonal office would be provided in the State Waqf Board, where the number of waqf properties is between 10,000 to 25,000 and for two zonal offices where it is more than 25,000. However, no manpower would be provided for zonal office where the number of waqf properties is less than 10,000. The monthly financial liability would be Rs. 27,000/-p.m. for the Zonal Waqf Officer and Rs. 20,000/ - p.m for the Survey Assistant. The Zonal Waqf Officer will have expertise in legal matters; audit and accounts matters and the Survey Assistant will be responsible for all survey of waqf properties in the zone. The expenditure for each zonal office would thus be Rs. 47,000/- per month. The selection of the assigned staff for the Zonal Office would be the responsibility of CWC in consultation with the SWBs and their monthly fee would be released by CWC to the concerned SWBs. The remuneration to be paid to each person would be enhanced by 5% every year to mitigate inflation.

5.3.3.2 The SWBs are located in the States/UTs of the country. They are responsible for the administration of the waqf properties. The zonal offices where the Staff is to be provided is to be decided by the SWBs concerned based on their requirement.

5.3.3.3 The State/UT Waqf Boards would take the personnel provided under Components I and III on contract basis/as per practice prevailing in the respective State/UT. Further, the SWBs can take more personnel at their discretion through the outsourced agency while not exceeding the above allocation.

5.3.3.4 Keeping in view that the objective of the scheme is to improve the income generation of SWBs so that they become self-reliant, it is imperative that waqf properties are well managed. Since the Mutawallis /Management Committees do play a significant role in enhancing the income of waqf properties, the best performer Mutawallis/Management Committees deserves to be encouraged. As such, about 10-12 best performing Mutawallis/Management Committees from different regions of the country, based on their financial performance, innovative practices, use of technology etc will be selected. The detailed criteria for evaluation and selection will be devised in due course. For this purpose, provision of Rs.5.00 lakh per year has been made in the scheme.

5.4. Release of funds

While the total quantum of the assistance to all State Waqf Boards has been calculated, it would be up to the State Government and the Board to avail themselves of this assistance through efficient management of resources and the willingness of the State Government to act as an interested stake-holder in the process and meeting the conditions. Central Waqf Council (CWC) would be the Implementing agency. State/ U'T Waqf Boards will formulate the proposal seeking assistance under the scheme and send to CWC through State/ U'T Governments. The State/ UT Waqf Board is also to furnish an undertaking that SWB fulfill all the conditions provided in para 5.2.2 above. Funds under the Scheme would be released to State/ UT Waqf Boards by CWC following due procedure and guidelines. Utilization certificates will have to be furnished by the concerned SWB to the CWC. Further assistance will be released to only those Boards who have furnished their utilization certificates. The State Government will also put in place a monitoring mechanism and inspection system. The State Waqf Boards will have to furnish the proposal for release of Grants-in-aid pertaining to their Waqf Boards as per application at **Annexure-II** . The State Waqf Boards are also required to furnish their status report through Principal Secretary / Secretary as per **Annexure - III**.

6. IMPLEMENTING AGENCIES & THEIR ROLES

A detailed summary of implementation roles of various stakeholders is indicated below:

S. No.	Stakeholders	Roles
1.	Ministry of Minority Affairs	<ul style="list-style-type: none"> • Overseeing the entire project. • Fund allocation and release to CWC. • Implementation facilitator & steering the project monitoring. • Constitution of Steering Committee as per composition indicated at para 9.3.
2.	State Governments	<ul style="list-style-type: none"> • Setting up of State Level Committee for coordination with field departments for effective implementation of this computerization scheme with 2 representatives as experts from outside the Government and one from IT Department. • Providing access to other relevant databases in the State/UT. • Monitoring of progress at State level.
3.	Central Waqf Council	<ul style="list-style-type: none"> • Releasing of funds to the State/UT Waqf Boards/NIC etc for completion of the remaining work. • Evaluation of the Scheme • Tendering and other formalities as implementation agency. • Project management and monitoring under the overall guidance of the Steering Committee. • Implementation facilitator • Facilitator for training of the employees of the CWC & State/UT

		<p>Waqf Boards on WAMSI in coordination with NIC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liaisoning, networking and troubleshooting with MoMA, State/ UT Waqf Boards and NIC. • Oversee the reconciliation of data. • Reporting MoMA on implementation of the project on quarterly basis.
4.	State /UT Waqf Boards	<ul style="list-style-type: none"> • Incurring of expenditure as per rules/regulations and meeting implementation deadlines under the broad supervision of the State Coordination Committee. • Implementation of the applications at the state level. • Digitization of existing records. Providing space for server Room for project implementation • Procurement of hardware and facilitating installation as per instructions from NIC/MOMA/CWC. • Safe custody and handling of existing records • Facilitating in reconciliation of data to build up a master inventory of all the Waqf properties. • Facilitating on feeding of data online on registration, leasing, litigation, mutawalli returns, income from properties. • Any other job as per advice of MoMA/NIC/CWC.
5.	National Informatics Centre (NIC)	<ul style="list-style-type: none"> • Implementation of the project (WAMSI) on behalf of MOMA on a turnkey manner. • Assisting recruitment of ICT professionals wherever necessary. • Project management through PMC

		<ul style="list-style-type: none"> • Arranging training for the employees of CWC and SWBs on WAMSI. • Extending technical advice to MoMA, Waqf Boards & CWC.
--	--	--

7. Responsibilities of the State Governments

The following are the responsibilities of the State Governments:-

- (i) Appointment of a full-time CEO;
- (ii) Timely audit of the accounts of the Boards as well as regular audit of the accounts of Mutawalli are conducted by the auditors appointed by the Waqf Boards;
- (iii) Proper maintenance of law suit register and regular tracking of cases of encroachments of waqf properties;
- (iv) Periodical report of retrieval of properties from encroachment and unauthorized occupation on waqf properties to the CWC;
- (v) Proper maintenance of waqf register and due preservation of document related to Waqf Deed and Gazette Notification of properties;
- (vi) Appointment of Survey Commissioner and time-bound survey of waqf properties and their entry in the relevant land records of revenue or local bodies;
- (vii) Timely constitution of Waqf Board and framing of rules and regulations by the State Governments.
- (viii) Assurance for effective participation in the computerization process.
- (ix) To constitute a State Level Coordination Committee for effective implementation under the Chairmanship of the Principal Secretary (Minority Welfare). Principal Secretary may delegate its role to any other officer of the State Government to ensure that timely meeting of SLCC is convened.

8. Administrative Expenses

10% of total budget outlay of the umbrella scheme has been earmarked as Administrative Expenses. As CWC would be the implementing agency, 9% out of 10% earmarked as Administrative Expenses in the scheme would be for administrative and allied cost for use by the CWC. The balance 1% would be used by the Ministry for hiring of outsourced staff to process the various works under the scheme as well as expenditure incurred in connection with monitoring of the scheme. The CWC will be required to conduct regular workshops, training camps and review meetings at the regional and national level. The CWC shall finalize an annual plan with the approval of the Ministry. This provision to CWC will also be used for evaluation and monitoring of the scheme, through outside reputed institutions/agencies.

9. Evaluation, Inspection & Monitoring

9.1 The Joint Secretary dealing with waqf matters, MoMA would be the Nodal Officer In-charge of the umbrella scheme. The Scheme would be executed by the SWBs under the supervision of the State Government concerned. The Scheme would be monitored by Ministry of Minority Affairs and CWC at Centre and the State/ U'T Governments at State / UT Level.

9.2 The CWC will furnish monthly progress report to the Ministry of Minority affairs about the progress of the scheme.

9.3 The scheme will be evaluated/inspected/monitored by the Steering Committee at Ministry level, which will be headed by a Joint Secretary. The following will be the composition of the Steering Committee:

Chairperson	Joint Secretary concerned
Members	Director / DS (Waqf) , MoMA Secretary, CWC CEO, Karnataka Board of Auqaf CEO, Haryana Waqf Board CEO, Maharashtra Waqf Board CEO, Andhra Pradesh Waqf Board
Convener	Under Secretary (Waqf), MoMA

The representatives of the SWBs will be rotated from time to time.

9.4 The technical implementation and monitoring will be done by the Project Committee. The composition of the Project Management Committee will be as under

Chairperson:	DDG, NIC
Executive Chairperson:	DDG's Nominee
Members	CEO, Haryana State Waqf Board. CEO, Karnataka Board of Auqaf. Technical Director, NIC Under Secretary, MoMA.
Convener	Representative of CWC

9.5 The Chairperson of the Committee can co opt members or have special invitees in the interest of implementation of the scheme. The representatives of the SWBs will be rotated from time to time. Besides above, Secretary (CWC) will constitute a monitoring committee in CWC itself who will constantly supervise the implementation work, meet at least once in a month and send monthly report to the Ministry on progress of computerization work.

Annexure-I

[Refer Para:5.3.1]

Details of Expenditure in respect of Salary to be Paid:-**Component-I**

Sl. No	Name of the Post	Monthly Salary
1.	Legal Support Officer	40,000
2.	Office-cum-Legal Assistant	30,000
3.	Accountant	30,000

Under Component I, the requirement of Fund & Manpower has been determined as under:-

Sl. No	SWBs having more than 6,000 Waqf Properties				SWBs having less than 6,000 Waqf Properties		
	Name of the Post	No. of Posts	No. of SWBS.	Salary in Rs.	No. of Posts	No. of SWBS.	Salary in Rs.
1.	Legal Support Officer	Big SWBs (2)	15 swbs	80,000	—	—	—
2.	Office-cum-Legal Assistant	-		30,000	1	16swbs	30,000
3.	Accountant	1		30,000	1		30,000
Total		3	15	1,10,000	2	16	60,000

ANNEXURE-II

[Refer Para 5.4]

**APPLICATION FORM TO BE SUBMITTED BY THE STATE/ UT WAQF BOARD FOR
RELEASE OF GRANTS-IN-AID**

1. Name and address of the State / UT Waqf Boards.....
2. Name of the Chief Executive Officer with Contact number, Fax number & E-mail Id.....
3. Whether Mutwalli form of Waqf is prevalent in the State/ UT.....
4. Whether Regional/ Zonal office is established (No. of staff).....
5. Total number of registered auqaf (property) as on 31.03.2017.....
6. Total number of properties entered in WAMSI.....
7. Details of hardware and software available with the Waqf Board (status report).....
8. Total number of employees with the Waqf Board with name & designation who need training in computer operations.....
9. Number of computers currently available with the Board.....
10. Whether facility of Internet and E-mail is available.....
11. Whether board has a small server room and computer room with AC.....
12. Whether LAN facility is available within the Board premises.....
13. E-mail Id of all Officers/ Officials available.....
14. Status note on present state of computerization.....

Signature
Name of Chief Executive Officer
State Waqf Board

Note: use separate sheet, if required.

ANNEXURE-III

[Refer Para 5.4]

**STATUS REPORT TO BE PROVIDED BY THE PRINCIPAL SECRETARY/ SECRETARY/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

1. Name of the Principal Secretary looking after the Waqf Board with TEL No. & E-mail Id.....
2. Whether full time CEO has been appointed.....
3. If timely audit of annual accounts of Board being undertaken.....
4. If so, up to which year, audit is completed.....
5. Whether time bound survey of Waqf property being done through appointment of Survey Commissioner under Section 4 of the Waqf Act 1995.....
6. If so, when was the last Survey Commissioner of auqaf appointed.....
7. Average annual Income of the Waqf Board during the last 3 years (Fig. in Lakh)
(2014-2015)
(2015-2016)
(2016-2017)
8. Grants-In-Aid received and Utilization Certificate pending for the last 3 years as on 31.03.2017 (Fig. in Lakh)

	GIA Received	UCs Submitted	UCs Pending
(2014-2015)			
(2015-2016)			
(2016-2017)			
9. Consent of the State Government to forward the Utilization certificate after utilization of the funds by end of April of the next financial year.....
10. Whether State Level coordination committee has been constituted for effective implementation of this scheme.....


Signature
Principal Secretary/ Secretary
Department of State Government

Signature
Chief Executive Officer
State Waqf Board

Note: Use separate sheet, if required.

कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना
(राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण
तथा सुदृढीकरण की पूर्ववर्ती योजना)

(2017–2020)



भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अक्तूबर 2017

कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना* (राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण तथा सुदृढीकरण की पूर्ववर्ती योजना)

1. पृष्ठभूमि

1.1 वक्फ से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अपने 9वें प्रतिवेदन में लगभग 25 करोड़ रु. की लागत से राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा की थी। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा योजना तैयार की गई और दिसंबर, 2009 में शुरू की गई थी।

1.2 संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने राज्य वक्फ बोर्डों की अवसंरचना और संस्थागत क्णता को भी सुदृढ करने की सिफारिश की थी ताकि वे मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों का प्रभावी ढंग से संचालन और प्रबंधन कर सकें। तदनुसार, राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण की योजना तैयार की गई और 2013-14 से कार्यान्वित की जा रही है।

2. मौजूदा योजनाओं में परिशोधन की जरूरत

2.1 उपर्युक्त दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों के साथ 07.01.2017 को समीक्षा की गई। तदपश्चात, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नई दिल्ली के माध्यम से दोनों योजनाओं का मूल्यांकन करवाया गया। अन्य सिफारिशों के साथ राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) का मत था कि उपर्युक्त दोनों योजनाओं को जारी रखने की जरूरत है ताकि योजनाओं के सभी घटक पूरे हो जाएं।

2.2 दोनों योजनाओं पर राज्यों से प्राप्त फीडबैक और मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण की एक परिशोधित अम्ब्रेला योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस अम्ब्रेला योजना के अधीन मौजूदा दोनों योजनाओं के परिशोधित प्रावधान होंगे ताकि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

3. अम्ब्रेला योजना के घटक

3.1 अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण की अम्ब्रेला योजना में अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढीकरण के संबंध में प्रत्येक के लिए दो विशिष्ट घटक होंगे। प्रत्येक घटक के उद्देश्यों, प्रावधानों, वित्तीय सहायता आदि का वर्णन अगले पैराओं में दिया गया है।

[*नाम के अलावा पूर्ववर्ती योजना की विषय-वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।]

4. राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

4.1 उद्देश्य

4.1.1 वक्फ परिसंपत्तियां देश भर में फैली हुई हैं किन्तु अधिकांश राज्यों में अब तक वक्फ परिसंपत्तियों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण तक नहीं किया गया है। वक्फ परिसंपत्तियों का कोई विकास नहीं किया गया है तथा इन परिसंपत्तियों से अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाओं हेतु बड़ी आय सृजित नहीं की जा सकी है क्योंकि वक्फ परिसंपत्तियों पर व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण है और वे अविकसित हैं। इसलिए, वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति ने अपने 9वें प्रतिवेदन में अभिलेखों के रख-रखाव, पारदर्शिता लाने और वक्फ बोर्डों की विभिन्न कार्यप्रणाली/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा वेब आधारित एकल केन्द्रीय प्रयोग प्रणाली विकसित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और इन बोर्डों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की अनुशंसा की थी।

4.1.2 राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के विस्तृत उद्देश्य हैं –

- परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंध
- मुतावली रिटर्न्स मैनेजमेंट
- परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंध
- वाद निस्तारण प्रबंध
- प्रलेख आदान-प्रदान प्रबंध
- वक्फ परिसंपत्तियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी प्रबंध
- मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इमामों, मुआज्जिनों, विधवाओं, बालिका विवाहों, छात्रवृत्तियों, स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, मुत्ताफिरखानों, कौशल विकास केंद्रों आदि से संबंधित कोष प्रबंध
- शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए प्रबंधन
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

4.2 चरण-वार उद्देश्य :

कम्प्यूटरीकरण योजना के चरण-वार उद्देश्य निम्नलिखित अनुसार हैं:

चरण 1: वक्फ संपत्तियों की डाटा प्रविष्टि

- राज्य स्तर पर अनुरक्षित अर्थात राजस्व विभाग आदि के विभिन्न कम्प्यूटरीय आकड़ों से वक्फ से संबंधित आंकड़ों की पुनर्जांच करना।

4.3.1 कम्प्यूटरीकरण की योजना सभी 32 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के कन्स्ट्रिक्ट कम्प्यूटिंग सुविधा (सीसीएफ) स्थापित करने के लिए सहायता-अनुदान जारी किया गया। इससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

4.3 कार्यक्षेत्र, पाना और विन :

कोई विषय।

- कार्यालय दफता में बृद्धि लान हेतु कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त माना गया अन्य
- वक्फ प्रबंधन के लिए वेब आधारित कन्स्ट्रिक्ट प्रदान प्रणाली का कार्यान्वयन।
- वक्फ पंजीकरण का मानकीकरण और स्वचालीकरण।
- सभी हरत प्रलेख, विलेख और दस्तावेजों का अंकीकरण (डिजिटलाइजेशन)।
- वक्फ परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट समय से सुनिश्चित किया जाना।
- सूचना के अधिकार अधिनियम का अनुपालन।
- राष्ट्रीय वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्रबंध।

प्रबंध।

- अरघाला, औषधालय, मुसाफिरखाना, काश्मल विकास कर्ना आदि से संबंधित कोष
- मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इनामों, मुआजिनों, विधवाओं, छात्रवृत्तियों, स्कूलों, स्वाध्याय, प्रशासन, कर्नाय रजिस्ट्री आदि।
- राज्य वक्फ बोर्डों से संबंधित अन्य क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण (बनन और लेखा, किया जाना।
- अतिक्रमण रोकने के लिए वक्फ परिसंपत्तियों की भौतिक सूचना प्रणाली विकसित

खण II : वक्फ बोर्डों का बेहतर प्रशासन

- प्रलेख आदान-प्रदान प्रबंध प्रणाली।
- वाद निरतारण प्रबंध प्रणाली।
- परिसंपत्तियों का पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंध।
- मुताबली रिटर्न्स मनेजमेंट प्रणाली।
- वक्फ बोर्डों की परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंध प्रणाली।
- आधारित डाटाबेस का सृजन।
- विभिन्न पणधारियों (स्टेक होल्डर) द्वारा इस्तेमाल के लिए कन्स्ट्रिक्ट और वेब सुधार।
- विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित रिपोर्टों की समय से वैधारी और कार्य दफता में

वक्फ बोर्डों द्वारा दो वर्ष के लिए कुछ कंप्यूटर कार्मिक भाडे पर लेने के लिए हैंडहॉल्लिडिंग सहायता भी शामिल है।

4.3.2 योजना के अधीन एनआईसी को पहले भारतीय वक्फ प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएसआई) नामक साफ्टवेयर विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। एनआईसी ने डब्ल्यूएमएसआई नामक वेब-पोर्टल का पहले ही शुभारंभ कर दिया है जिसमें पंजीकरण, विवरणी, पट्टे पर देना और मुकदमा नामक चार मॉड्यूल हैं। सभी 32 वक्फ बोर्डों ने अपने सीसीएफ स्थापित कर लिए हैं और साफ्टवेयर 'डब्ल्यूएमएसआई' के चार मॉड्यूलों में डाटा की प्रविष्टि आरंभ कर दी है।

4.3.3 31.07.2017 के अनुसार, 3,32,919 वक्फ संपदाओं में से 3,12,196 वक्फ संपदाओं की डब्ल्यूएमएसआई आनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल में प्रविष्टि कर दी है। डब्ल्यूएमएसआई विवरणी मॉड्यूल में 20,897 वक्फ संपत्तियों, डब्ल्यूएमएसआई पट्टा मॉड्यूल में 10,164 वक्फ संपत्तियों और डब्ल्यूएमएसआई मुकदमा मॉड्यूल में 7,269 मुकदमा नामलों की प्रविष्टि भी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त 2,90,945 वक्फ संपत्तियों का पूर्व-डिजीटीकरण कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

4.3.4 सभी राज्य वक्फ बोर्डों को सीसीएफ स्थापित करने और हैंडहॉल्लिडिंग सहायता के लिए निधियां जारी करने के बावजूद यह देखा गया है कि मंत्रालय द्वारा निरंतर समीक्षा और मानीटरिंग के बाद भी योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जबकि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित 94% कार्य पूरा कर लिया गया है, शेष तीनों मॉड्यूलों से संबंधित कार्य पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। गतिरोधों को आसान बनाने के लिए पिछली योजना अवधि के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि चरण-I के अधीन शेष कार्य पूरा करने के लिए निधियां सीडब्ल्यूसी को जारी की जाएंगी जिसमें सीसीएफ स्थापित करना और सभी चार मॉड्यूलों में डाटा प्रविष्टि करना शामिल है। तदनुसार 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित योजना के उपबंधों के अनुसार सीडब्ल्यूसी ने सभी चार मॉड्यूलों में कार्यों में तेजी लाने के लिए कार्य को आउटसोर्स कर दिया था।

4.4 जीआईएस मैपिंग

4.4.1 वक्फ अधिनियम, 1995 संशोधित किया गया है और 1 नवंबर, 2013 से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 कार्यान्वित किया गया है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 में वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए उपबंध किया गया है। वक्फ संपत्तियों से बेदखली का आदेश प्रदान करने के लिए वक्फ अधिकरण को आवेदन करते हुए वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सशक्त बनाया गया है। धारा 54 के अधीन बनाए गए आदेश को लागू करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। अतिक्रमण हटाने के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा वक्फ

क) राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा नामित नोडल अधिकारी के समय मार्गनिर्देशन के अर्थान ज्यूर्युएम्पसआई आनलाइन प्रणाली में डाटा प्रविष्टि और समय-समय पर एनआइसी - पीएमयू (वक्फ) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए

4.5.1 जो निम्नलिखित क्रियाकलाप लंबित है, 31.03.2020 तक पूरे कर लिए जाएंगे:

4.5 ज्यूर्युएम्पसआई पोर्टल में प्रविष्टि :

2021-2022 वर्षों के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।
 किए जाने वाले वक्फ संपत्तियों की जीआइएसआई मैपिंग का शेष 50% कार्य 2020-2021 और साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उचित रूप में किया जाना चाहिए। 15.50 करोड़ रु. के खर्च पर संपत्तियों की जीआइएसआई मैपिंग के कार्य का निर्णय कर लेकिन जीआइएस कार्य शहरी के राज्य वक्फ बोर्डों का विशेषाधिकार होगा कि वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार वक्फ 10%, 20% और 20% वक्फ संपत्तियों की जीआइएसआई मैपिंग करवाने का इरादा है। यह 2017-18 से 2019-2020 के दौरान 15.39 करोड़ रु. कुल लगाने पर प्रत्येक वर्ष क्रमशः अवधि अर्थात् 2017-18 से 2021-2022 के दौरान खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष पूरा नहीं की जा सकती है। अतः 31.00 करोड़ रु. का दिखाया गया व्यय पांच वर्षों की संख्या में वक्फ संपत्तियों की जीआइएसआई मैपिंग 2017-2020 के दौरान तीन वर्षों की अवधि में मैपिंग के लिए कुल व्यय 31.00 करोड़ रु. होगा। यह महसूस किया गया है कि इतनी बड़ी लिए समर्थ नहीं है। भारत भर में कुल लगभग 5.63 लाख वक्फ संपत्तियों की जीआइएसआई जांचा जा रहा है। राज्य वक्फ बोर्ड राज्य के भीतर उपयुक्त एनसीसी को पूरा लगाने के लिए यह कार्य करने के लिए एनसीसी द्वारा उन मामलों में किया वक्फ बोर्डों को 550/- रु. की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य वक्फ बोर्ड यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए जीआइएसआई मैपिंग के लिए राज्य 4.4.4 उपयुक्त उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए वक्फ बोर्डों को वित्तीय सहायता होगी। अतः

करवाना आवश्यक है।

4.4.3 वक्फ संपत्तियों की जीआइएसआई मैपिंग से इन संपत्तियों की पहचान और उन पर से अधिकमण हटाने में सहायता मिलेगी। अतः सभी वक्फ संपत्तियों का जीआइएसआई मैपिंग

मार्गदर्शियों में डाटा प्रविष्टि का कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

4.4.2 2017-2020 के वर्षों के दौरान सभी वक्फ संपत्तियों में से 50% की जीआइएसआई मैपिंग

की भी जाकरत हो सकती है जहां से अधिकमण हटाया गया है।

संपत्तियों पर छोड़ी गई संपत्तियों का निपटन करेगा। बोर्ड को उस संपत्ति पर बांड लगाने

डब्ल्यूएमएसआई डीएमएस सिस्टम में लाने के लिए दस्तावेजों की स्कैनिंग और मैटाडाटा प्रविष्टि।

- ख) फील्ड से डब्ल्यूएमएसआई आनलाइन सिस्टम के अनुकूल प्ररूप में वक्फ संपत्तियों का डाटा एकत्र करना।
- ग) मुतावल्ली, यदि कोई हो, से प्रत्येक वक्फ संपदा के लिए मालिकाना हक सिद्ध करने संबंधी दस्तावेज एकत्र करना।

4.5.2 मॉड्यूल-वार पूरा किए जाने वाला कार्य नीचे दिया गया है:

1	पंजीकरण मॉड्यूल	=	राज्य वक्फ बोर्डों के पास उपलब्ध वास्तविक के अनुसार
2	विवरणी मॉड्यूल	=	राज्य वक्फ बोर्डों के पास उपलब्ध वास्तविक के अनुसार
3	पट्टा मॉड्यूल	=	राज्य वक्फ बोर्डों के पास उपलब्ध वास्तविक के अनुसार
4	मुकदमा मॉड्यूल	=	राज्य वक्फ बोर्डों के पास उपलब्ध वास्तविक के अनुसार
5	दस्तावेजों को अभिलेखागार में रखना एवं पुनः प्राप्ति	=	राज्य वक्फ बोर्डों के पास उपलब्ध वास्तविक के अनुसार

4.5.3 उपर्युक्त सभी मॉड्यूलों में शेष बचे कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित अनंतिम लक्ष्य निम्नलिखित अनुसार होंगे:

क्रियाकलाप	पूरा करने की अनंतिम लक्ष्य तारीख
i) डब्ल्यूएमएसआई पंजीकरण मॉड्यूल में डाटा प्रविष्टि	जुलाई, 2018 जून, 2019
ii) डब्ल्यूएमएसआई पट्टा मॉड्यूल में डाटा प्रविष्टि	दिसंबर, 2019
iii) डब्ल्यूएमएसआई विवरणी मॉड्यूल में डाटा प्रविष्टि	दिसंबर, 2019
iv) डब्ल्यूएमएसआई मुकदमा मॉड्यूल में डाटा प्रविष्टि	

इस प्रयोजन के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा सभी राज्य वक्फ बोर्डों को मार्च, 2020 तक कार्यालय स्वचलन के लिए ईआरपी समाधान प्रदान किया जाएगा। जीआईएस मैपिंग के लिए सभी राज्य वक्फ बोर्डों को 50% वक्फ संपत्तियों से संबंधित कार्य पूरा करना अपेक्षित है जिसमें जीआईएस कोर्डिनेट्स एकत्र करना और मार्च, 2020 तक डब्ल्यूएमएसआई ऑनलाइन पोर्टल पर सभी डाटा अपलोड करना शामिल है।

4.5.4 राज्य वक्फ बोर्डों को उपर्युक्त लक्ष्य अनुसूची के अनुसार डब्ल्यूएएमएसआई मॉड्यूल में डाटा प्रविष्टि का कार्य पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 2017-2020 की अवधि दौरान डब्ल्यूएएमएसआई पोर्टल के सभी चार मॉड्यूलों में डाटा प्रविष्टि करने के लिए निम्नलिखित जनशक्ति का प्रस्ताव किया गया है:

(क) 15,000/- रु. प्रति माह की दर से उन 3 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए 4 सहायक प्रोग्रामर जिनके पास 31.07.2017 के अनुसार 50,000 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं।

(ख) 15,000/- रु. प्रति माह की दर से उन 9 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए 3 सहायक प्रोग्रामर जिनके पास 31.07.2017 के अनुसार 20,000 से अधिक और 50,000 से कम वक्फ संपत्तियां हैं।

(ग) 15,000/- रु. प्रति माह की दर से उन 2 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए 2 सहायक प्रोग्रामर जिनके पास 31.07.2017 के अनुसार 6,000 से अधिक और 20,000 से कम वक्फ संपत्तियां हैं।

(घ) 15,000/- रु. प्रति माह की दर से उन 18 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए 1 सहायक प्रोग्रामर जिनके पास 31.07.2017 के अनुसार 6,000 से कम वक्फ संपत्तियां हैं।

4.5.5 परियोजना प्रबंधन यूनिट स्थापित करते हुए योजना की मानीटरिंग; राज्य वक्फ बोर्डों में केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा का रख-रखाव; ईआरपी समाधान साफ्टवेयर; वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा और एनआईसी द्वारा डब्ल्यूएएमएसआई साफ्टवेयर का रख-रखाव आदि के लिए योजना में नीचे दिए अनुसार प्रावधान किया गया है:

(क) डब्ल्यूएएमएसआई साफ्टवेयर अनुरक्षण, परिवर्धन एवं तकनीकी सहायता के लिए तीन वर्षों के लिए 181.90 लाख रु. की व्यवस्था की गई है तथा ये निधियां सीडब्ल्यूसी द्वारा एनआईसी को इस प्रयोजनार्थ जारी की जाएंगी।

(ख) 32 राज्य वक्फ बोर्डों में केंद्रीकृत संगणक सुविधा केंद्र (सीसीएफ) का अनुरक्षण 31.07.2017 तक 6,000 वक्फ संपत्तियों से ज्यादा वाले 14 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए 3 लाख रु. प्रतिवर्ष की दर पर; तथा 31.07.2017 तक 6,000 वक्फ संपत्तियों से कम वाले 18 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए 2 लाख रु. प्रतिवर्ष की दर पर। सीडब्ल्यूसी द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव जांच करने के पश्चात् सीसीएफ के अनुरक्षण हेतु निधियां किस्तों में जारी की जाएंगी।

(ग) 32 राज्य वक्फ बोर्डों के बेहतर संचालन के लिए ईआरपी सल्युशन साफ्टवेयर हेतु सीडब्ल्यूसी को 3 लाख रु. प्रति वक्फ बोर्ड के हिसाब से एकबारगी अनुदान उपलब्ध कराया

जाएगा। इस प्रयोजनार्थ सीडब्ल्यूसी को वित्त वर्षों 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में क्रमशः 10, 10 तथा 12 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) 32 राज्य वक्फ बोर्डों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा केंद्र की स्थापना करने हेतु 4 लाख रु. प्रति वक्फ बोर्ड के हिसाब से एकबारगी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त वर्षों 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में क्रमशः 10, 10 तथा 12 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना की मासिक आधार पर मॉनीटरिंग करने के लिए, सीडब्ल्यूसी को 2017-18 के दौरान केंद्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए 10.00 लाख रु. की निधियां जारी की जाएंगी।

4.5.6 राज्य वक्फ बोर्डों को उनकी वास्तविक अपेक्षा के अनुसार इस योजना के विभिन्न संघटकों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए एसडब्ल्यूबी को लोचशील बनाने के मद्देनजर, सीडब्ल्यूसी के पूर्वानुमोदन के साथ राज्य वक्फ बोर्डों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे विशिष्ट संघटक हेतु मंजूर की गई निधियों को अन्य संघटकों के लिए खर्च करें यदि राज्य वक्फ बोर्डों को यह लगता हो कि उस विशिष्ट संघटक के लिए वे निधियां अपेक्षित नहीं हैं।

4.5.7 मुतवल्लियों/प्रबंधन समितियों को उनके कार्यों के कम्प्यूटरीकरण में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 10-12 सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र की भी व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन एवं चयन हेतु विस्तृत मापदंड आने वाले समय में तैयार किए जाएंगे। राज्य वक्फ बोर्डों का मूल्यांकन सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में होने वाला व्यय सीडब्ल्यूसी द्वारा योजना के पैरा 10 के अंतर्गत उपबंध किए जा रहे अनुसार प्रशासनिक खर्चों से पूरा किया जाएगा।

4.5.8 डब्ल्यूएएमएसआई पोर्टल में आंकड़ों की प्रविष्टि की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए सीडब्ल्यूसी एक सीनियर एसोसिएट 35,000/- रु. प्रतिमाह तथा एक जूनियर एसोसिएट 25,000/- रु. प्रतिमाह के वेतन वाले परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) की स्थापना करेगा। यह एकक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाला पारिश्रमिक मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए हर वर्ष 5% तक बढ़ाया जाएगा।

4.6 निधियां जारी करना

केंद्रीय वक्फ परिषद कंप्यूटरीकरण की योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगी जिसे वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यकरण को मॉनीटर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। योजना के अंतर्गत निधियां अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद को जारी की जाएंगी, जो बदले में जीएफआर के अंतर्गत समुचित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एसडब्ल्यूबी/एनआईसी को दो किस्तों में

निधियां जारी करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद जीएफआर में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में एसडब्ल्यूबी से उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करके अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अग्रेषित करेगा।

5. राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण

5.1 उद्देश्य

औकाफ के संचालन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों को उनके वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण करने के लिए सहायता देने से उनकी वक्फ संपत्तियों का और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह संचालन एवं प्रबंध हो सकेगा तथा आय सृजन में सुधार तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही, ऐसी निधियां कुछ शर्तों के अध्याधीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य वक्फ बोर्डों का कार्यकरण तथा संस्थागत क्षमता से उनके आय सृजन को बेहतर बनाया जा सके तथा आत्मनिर्भर बना जा सके। उनकी योग्यताओं में सुधार उनकी आय में वृद्धि को सुकर बनाएगा जिससे समय के साथ-साथ उनकी बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम अथवा समाप्त होगी।

5.2 क्षेत्र, पात्रता एवं वित्त

5.2.1 इस योजना में तीन संघटक शामिल होंगे। संघटक I के अंतर्गत, राज्य वक्फ बोर्डों को उनके संस्थानों की प्रशासनिक लागतों को पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। संघटक II के अंतर्गत, वक्फ संपत्तियां पट्टा नियमावली, 2014 के उपबंधों को लागू करने के लिए मुतवल्ली तथा प्रबंध समितियों की क्षमताओं का निर्माण करने; लेखा सॉफ्टवेयर, स्टेशनरी/उपभोज्य सामग्रियों की खरीद करने तथा सर्वेक्षण आयुक्त को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को सुकर बनाने हेतु निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। संघटक III के अंतर्गत, राज्य में वक्फ संपत्तियों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए अंचल/क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के सुदृढीकरण हेतु निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

5.2.2 उन राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:-

क) कानूनी तौर पर गठित वक्फ बोर्ड;

ख) सीईओ का पदासीन होना;

ग) प्राधिकारी के अंतर्गत नियुक्त लेखा परीक्षक (परीक्षकों) द्वारा बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा का अद्यतन संचालन सुनिश्चित करना;

- घ) मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायता अनुदान के लेखों की अद्यतन लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना; तथा
- ड) यह सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार एवं अनुमोदित की गई है कि सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं भू-राजस्व अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के साथ सर्वेक्षण की गई संपत्तियों का पंजीकरण पूरा हो गया है।

5.2.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऊपर दी गई (ग) से (ड) मदें प्राप्त करने के लिए यह आवश्यकता पाई गई कि बोर्डों की स्थापना की लागत केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रदान की जाए। प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड को एक सशक्त कानूनी, लेखा और प्रशासनिक विंग की आवश्यकता होगी। बोर्ड में वर्तमान कार्मिकों को विशेष रूप से वक्फ अधिनियम, 1995 तथा वक्फ संपत्तियां पट्टा नियमावली, 2014 के संबंध में अपने कार्य क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ अपने आप को परिचित करने के लिए उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाएगा।

5.3 प्रस्तावित योजना का संघटक:

प्रस्तावित योजना के तीन संघटक निम्नलिखित अनुसार होगा:—

5.3.1 घटक—I

घटक—I के अधीन 31.07.2017 के अनुसार छह हजार और इससे अधिक वक्फ संपत्तियों वाले 15 बोर्डों में से प्रत्येक को सरकार द्वारा प्रति वर्ष 16.50 लाख रु. की कुल सहायता प्रदान की जाएगी। 31.07.2017 के अनुसार, छह हजार से कम वक्फ संपत्तियों वाले 16 छोटे राज्य वक्फ बोर्डों को सरकार की ओर से प्रति वर्ष 9.60 लाख रु. की सहायता होगी। इस घटक के अधीन प्रत्येक 30,000/- रु. प्रति माह की दर से कार्यालय-एवं-कानूनी सहायक और प्रत्येक 30,000/- रु. प्रति माह की दर से लेखाकार नियत किए गए और 40,000/- रु. प्रति माह की दर से एक कानूनी सहायता अधिकारी राज्य वक्फ बोर्डों को उनकी संख्या-शक्ति बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाना निश्चित किया गया है। मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पारिश्रमिक में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि की जाएगी। विभिन्न वक्फ बोर्डों के लिए इस स्टाफ को दी जाने वाली परिलब्धि का आधार अनुलग्नक—I पर दिया गया है।

5.3.2 घटक—II

5.3.2.1 वक्फ अधिनियम, 1995 संशोधित किया गया है और 1 नवंबर, 2013 से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 कार्यान्वित किया गया है। वक्फ अधिनियम की धारा 54 में वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने का प्रावधान है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी को

वक्फ संपत्तियों से बेदखली का आदेश प्रदान किए जाने के लिए वक्फ अधिकरण को आवेदन करते हुए वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकार धारा 54 के अधीन निकाले गए आदेश को लागू करवाने के लिए उत्तरदायी है। अतिक्रमण हटाने के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी अप्राधिकृत अधिभागियों द्वारा वक्फ संपत्तियों पर छोड़ी गई संपत्ति का निपटान करेगा। बोर्ड को अतिक्रमण हटाई गई संपत्ति पर बाड़ लगाने की भी जरूरत हो सकती है।

5.3.2.2 इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने वक्फ संपत्तियां पट्टा नियमावली-2014 अधिसूचित की है। मुतवल्लियों और प्रबंधन समितियों को अपनी-अपनी संपत्तियों के लिए इन नियमों को अपनाना और कार्यान्वित करना होता है। ऐसे मुतवल्लियों और प्रबंधन समितियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद को 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष की दर से सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह सहायता केवल उन 20 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास 31.07.2017 के अनुसार एक हजार या अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। मुतवल्लियों और प्रबंधन समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद काफी समय पहले एक वार्षिक योजना तैयार करेगी और राज्य वक्फ बोर्डों को परिचालित करेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम परस्पर सहमत प्ररूपों में राज्य वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल से आयोजित किया जाएगा।

5.3.2.3 इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए की वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण निर्बाध रूप से हो जाए, 31.07.2017 के अनुसार 6 हजार से अधिक/कम वक्फ संपत्तियों वाले प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड को क्रमशः 3.00 लाख रु. और 2.00 लाख रु. प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जो आगे वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए आबंटित निधियों को सर्वेक्षण आयुक्त को प्रदान करेंगे।

5.3.2.4 इसके अलावा, 31.07.2017 के अनुसार 6 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों वाले प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड को 1.00 लाख रु. की राशि और शेष राज्य वक्फ बोर्डों को प्रत्येक को 75 हजार रु. की राशि स्टेशनरी/उपभोग्य वस्तुओं के लिए वार्षिक तौर पर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

5.3.3 घटक-III

5.3.3.1 इस घटक के अधीन उन राज्य वक्फ बोर्डों के जोनल वक्फ बोर्ड कार्यालयों (जेडडब्ल्यूबीओ) के सुदृढीकरण के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किया जाएगा जिन्हें विस्तृत क्षेत्र में फैली बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों की देख-भाल करनी होती है। किसी जेडडब्ल्यूबीओ के लिए भाड़े पर ली गई जनशक्ति राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली वक्फ संपत्तियों की संख्या के फैलाव को ध्यान में रखते हुए होगी। प्रत्येक जोनल

कार्यालय के लिए एक जोनल वक्फ अधिकारी और एक सर्वेक्षण सहायक प्रदान किया जाएगा। एक जोनल कार्यालय के लिए जनशक्ति राज्य वक्फ बोर्ड में प्रदान की जाएगी जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या 10,000 से 25,000 के बीच है और दो जोनल कार्यालयों के लिए वहां जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या 25,000 से अधिक है। तथापि, उस जोनल कार्यालय के लिए जनशक्ति नहीं प्रदान की जाएगी जहां वक्फ संपत्तियों की संख्या 10,000 से कम हो। जोनल वक्फ अधिकारी के लिए मासिक वित्तीय देनदारी 27,000/- रु. प्रति माह और सर्वेक्षण सहायक के लिए 20,000/- प्रति माह होगी। जोनल वक्फ अधिकारी को कानूनी मामलों, लेखा परीक्षा और लेखा मामलों में विशेषज्ञता हासिल होगी और सर्वेक्षण सहायक जोन में सभी वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक जोनल कार्यालय के लिए व्यय इस तरह 47,000/- रु. प्रति माह होगा। जोनल कार्यालय के लिए सौंपे गए स्टाफ चयन का उत्तरदायित्व राज्य वक्फ बोर्डों के साथ परामर्श से केन्द्रीय वक्फ परिषद का होगा और उनका मासिक शुल्क संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों को सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अदा किए गए पारिश्रमिक में मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिए प्रति वर्ष 5% की वृद्धि की जाएगी।

5.3.3.2 राज्य वक्फ बोर्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित है। वे वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। जिन जोनल कार्यालयों में स्टाफ की व्यवस्था की जानी है, इसका निर्णय उनकी जरूरत के आधार पर संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

5.3.3.3 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड घटक-I और घटक-III के अधीन प्रदान किए गए कार्मिक संविदा आधार पर/संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित प्रथा के अनुसार लेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य वक्फ बोर्ड अपने विवेकानुसार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से और अधिक कार्मिक ले सकते हैं लेकिन उपर्युक्त आबंटन से अधिक नहीं होंगे।

5.3.3.4 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजना का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की आय सृजन में सुधार करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, यह अनिवार्य है कि वक्फ संपत्तियों का अच्छे से प्रबंधन किया जाए। चूंकि मुतविल्लियों/प्रबंधन समितियों की वक्फ संपत्तियों से आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः श्रेष्ठ काम करने वाले मुतविल्लियों/प्रबंधन समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। अतः देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रेष्ठ काम करने वाले लगभग 10-12 मुतविल्लियों/प्रबंधन समितियों को उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन, नवीन पद्धतियों, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल आदि का आधार पर चुना जाएगा। मूल्यांकन और चयन का विस्तृत मापदंड अगले कुछ समय में तैयार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए योजना में 5.00 लाख रु. प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है।

5.4 निधियां जारी करना

जबकि सभी राज्य वक्फ बोर्डों के लिए सहायता की कुल मात्रा का आंकलन किया जा चुका है, यह राज्य सरकार और बोर्ड के लिए है कि वह संसाधनों के कुशल प्रबंधन और

प्रक्रिया में दिलचस्पी लेने वाले स्टैकहोल्डर के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार की इच्छा और शर्तों को पूरा करने के माध्यम से इसका लाभ उठाएँ। केन्द्रीय वक्फ परिषद कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी होगी। योजना के अधीन सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड प्रस्ताव तैयार करेंगे और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय वक्फ परिषद को भेजेंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड यह वचन-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि राज्य वक्फ बोर्ड उपर्युक्त पैरा 5.2.2 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करते हैं। सीडब्ल्यूसी द्वारा उचित प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए योजना के अधीन निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को जारी की जाएंगी। संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा सीडब्ल्यूसी को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके आगे सहायता केवल उन बोर्डों को जारी की जाएगी जिन्होंने उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। राज्य सरकार एक मनीटरिंग तंत्र और निरीक्षण प्रणाली की भी व्यवस्था करेगी। राज्य वक्फ बोर्ड उनके वक्फ बोर्डों से संबंधित सहायता-अनुदान जारी करने के लिए प्रस्ताव अनुलग्नक-II में दिए गए आवेदन के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। राज्य वक्फ बोर्डों को अनुलग्नक-III के अनुसार प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से अपनी स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।

6. कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां और उनकी भूमिका :

विभिन्न पणधारियों (स्टैक होल्डर) की कार्यान्वयन भूमिकाओं के सारांश के ब्यारे इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	स्टैकहोल्डर	भूमिकाएं
1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	<ul style="list-style-type: none"> ● पूरी परियोजना पर निगरानी। ● सीडब्ल्यूसी को निधि आबंटन एवं जारी करना। ● कार्यान्वयन सुविधाप्रदाता और परियोजना परिचालन निगरानी। ● परिचालन समिति का पैरा 9.3 के अनुसार गठन।
2.	राज्य सरकार	<ul style="list-style-type: none"> ● इस कम्प्यूटरीकरण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार से बाहर के दो विशेषज्ञ प्रतिनिधियों और एक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए फील्ड विभागों के साथ समन्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित करना। ● राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य संगतपूर्ण डाटा बेस तक पहुंच उपलब्ध कराना। ● राज्य स्तर पर प्रगति की निगरानी करना।

3.	केन्द्रीय वक्फ परिषद	<ul style="list-style-type: none"> ● शेष कार्य पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य वक्फ बोर्डों/एनआईसी आदि को निधियां जारी करना। ● योजना का मूल्यांकन। ● कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के रूप में निविदाकरण एवं अन्य औपचारिकताएं। ● संचालन समिति के समग्र दिशा-निर्देशन में परियोजना प्रबंधन और निगरानी। ● कार्यान्वयन सुविधाप्रदाता। ● राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के समन्वयन में डब्ल्यूएएमएसआई पर केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्रदाता। ● अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के वक्फ बोर्डों और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ जनसंपर्क, नेटवर्किंग और समस्या निवारण। ● आंकड़ों के समाधान की निगरानी। ● परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही आधार पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को रिपोर्ट देना।
4.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड	<ul style="list-style-type: none"> ● नियमों/विनियमों के अनुसार व्यय करना और राज्य समन्वयन समिति के व्यापक अधीक्षण के तहत कार्यान्वयन की अंतिम तिथियों का अनुपालन करना। ● राज्य स्तर पर आवेदनों का कार्यान्वयन। ● विद्यमान अभिलेखों का अंकीकरण। परियोजना कार्यान्वयन के लिए सर्वर रूम के लिए स्थान उपलब्ध कराना। ● एनआईसी/अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय/ सीडब्ल्यूसी के अनुदेशों के अनुसार हार्डवेयर की खरीद और उनकी स्थापना को सुगम बनाना। ● विद्यमान अभिलेखों का सुरक्षित रख-रखाव। ● सभी वक्फ परिसम्पत्तियों की मास्टर इनवेन्टरी तैयार करने के लिए आंकड़ों का समन्वयन। ● पंजीकरण, पट्टे पर देना, लिटिगेशन, मुतावल्ली

		रिटर्न्स, परिसम्पतियों से आय से संबंधित आंकड़े की आनलाइन प्रविष्टि के लिए सुविधा प्रदान करना। <ul style="list-style-type: none"> एनआईसी/सीडब्लूसी/अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सुझाव के अनुसार अन्य कोई कार्य।
5.	राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र	<ul style="list-style-type: none"> टर्न की आधार पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से परियोजना (डब्लूएएमएसआई) का कार्यान्वयन यथाआवश्यक आईसीटी व्यावसायिकों की भर्ती में सहायता करना। पीएमसी के माध्यम से परियोजना प्रबंधन। केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के कर्मचारियों के लिए डब्लूएएमएसआई पर प्रशिक्षण का प्रबंध करना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद को तकनीकी सलाह देना।

7. राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां :

राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों निम्नानुसार हैं :

- (i) एक पूर्ण कालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति;
- (ii) बोर्डों के लेखों की समय से लेखा परीक्षा तथा मुतावली के लेखों की नियमित लेखा परीक्षा वक्फ बोर्डों द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी;
- (iii) मुकदमा (लॉ सूट) रजिस्टर का समुचित रख-रखाव और वक्फ परिसम्पतियों के अतिक्रमण के मामलों का नियमित रूप से पता लगाते रहना;
- (iv) अतिक्रमण से परिसम्पतियों की पुनः प्राप्ति और उन पर अनधिकृत कब्जों से संबंधित आवधिक रिपोर्ट केन्द्रीय वक्फ परिषद को दिया जाना;
- (v) वक्फ रजिस्टर का समुचित रख-रखाव और परिसंपतियों से संबंधित राजपत्र अधिसूचना और वक्फ विलेख संबंधी प्रलेखों का रख-रखाव और संरक्षण;
- (vi) सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति वक्फ परिसंपतियों का समयबद्ध सर्वेक्षण और संगतपूर्ण राजस्व भू:अभिलेखों अथवा स्थानीय निकायों में उनकी प्रविष्टि;
- (vii) वक्फ बोर्ड का समय से गठन और राज्य सरकारों द्वारा नियम और विनियम तैयार किया जाना;

- (viii) कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी का आश्वासन;
- (ix) प्रधान सचिव (अल्पसंख्यक कल्याण) की अध्यक्षता में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समन्वयन समिति का गठन। एसएलसीसी की समय पर बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करने के लिए प्रधान सचिव राज्य सरकार के किसी अधिकारी को अपनी भूमिका प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

8. प्रशासनिक व्यय

अम्ब्रेला योजना के कुल बजट परिव्यय का 10% प्रशासनिक खर्चों के रूप में निर्धारित किया गया है। चूंकि सीडब्ल्यूसी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी होगी, अतः प्रशासनिक खर्चों के रूप में निर्धारित 10% में से 9% योजना में प्रशासनिक और संबद्ध लागतों के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा इस्तेमाल के लिए होगा। शेष 1% योजना के अधीन विभिन्न कार्यों को करने के लिए आऊटसोर्स स्टाफ भाड़े पर लेने के साथ-साथ योजना की मानीटरिंग के संबंध में किए गए खर्च के लिए मंत्रालय द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नियमित कार्यशालाएं, प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठकें आयोजित करनी होंगी। सीडब्ल्यूसी मंत्रालय के अनुमोदन से एक वार्षिक योजना को अंतिम रूप देगा। सीडब्ल्यूसी के लिए इस प्रावधान का उपयोग बाहरी प्रतिष्ठित संस्थानों/ एजेंसियों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन एवं मानीटरिंग के लिए भी किया जाएगा।

9 मूल्यांकन, निरीक्षण और निगरानी :

9.1 वक्फ मामले को देख रहे संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संपूर्ण योजना का प्रभारी नोडल अधिकारी होगा। योजना का कार्यान्वयन राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के अधीक्षण के तहत किया जाएगा। योजना की निगरानी केन्द्र स्तर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केन्द्रीय वक्फ परिषद तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा की जाएगी।

9.2 केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को योजना की प्रगति के बारे में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

9.3 परियोजना का मूल्यांकन/निरीक्षण/निगरानी मंत्रालय स्तर पर संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में परिचालन समिति द्वारा की जाएगी। परिचालन समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

अध्यक्ष	संबंधित संयुक्त सचिव
सदस्यगण	निदेशक/उप सचिव (वक्फ), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सचिव, सीडब्ल्यूसी सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्नाटक औकाफ बोर्ड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा वक्फ बोर्ड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड

संयोजक अवर सचिव (वक्फ), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों का समय-समय पर अदला-बदली की जाएगी।

9.4 परियोजना समिति द्वारा तकनीकी कार्यान्वयन एवं निगरानी की जाएगी। परियोजना प्रबंधन समिति की संरचना निम्नलिखित अनुसार होगी:-

अध्यक्ष	:	डीडीजी, एनआईसी
कार्यकारी अध्यक्ष	:	डीडीजी द्वारा नामित
सदस्यगण	:	सीईओ, हरियाणा राज्य वक्फ बोर्ड सीईओ, कर्नाटक औकाफ बोर्ड तकनीकी निदेशक, एनआईसी अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
संयोजक	:	सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधि

9.5 समिति के अध्यक्ष द्वारा योजना के कार्यान्वयन के हित में सदस्यों अथवा विशेष आमंत्रितों का चयन किया जा सकता है। राज्य वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों का समय-समय पर अदला-बदली की जाएगी। उपर्युक्त के अलावा, सचिव (सीडब्ल्यूसी), सीडब्ल्यूसी में ही एक निगरानी समिति गठित करेंगे जो कार्यान्वयन के कार्य महीने में एक बार बैठक होगी और कंप्यूटरीकरण कार्य की प्रगति पर मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट भेजेंगे।

अनुलभनक-1		
[पैरा : 5.3.1 के संदर्भ में]		
भुगतान के लिए वेतन के संबंध में व्यय का विवरण :-		
संघटक-I		
क्र. सं.	पद का नाम	मासिक वेतन
1.	लीगल सपोर्ट ऑफिसर	40,000
2.	ऑफिस-कम-लीगल असिस्टेंट	30,000
3.	एकाउंटेंट	30,000

संघटक-I के अंतर्गत निधियों एवं श्रमशक्ति की आवश्यकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

6,000 से अधिक वक्फ परिसंपत्तियों वाले एसडब्ल्यूबी					6,000 से कम वक्फ परिसंपत्तियों वाले एसडब्ल्यूबी		
क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	एसडब्ल्यूबी की संख्या	वेतन रु. में	पदों की संख्या	एसडब्ल्यूबी की संख्या	वेतन रु. में
1.	लीगल सपोर्ट ऑफिसर	बड़ा एसडब्ल्यूबी (2)	15	80,000	-		-
2.	ऑफिस-कम लीगल असिस्टेंट	-	एसडब्ल्यूबी		1	16 एसडब्ल्यूबी	30,000
3.	एकाउंटेंट	1		30,000	1		30,000
कुल		3	15	1,10,000	2	16	60,000

[पैरा : 5.4 के संदर्भ में]

सहायता-अनुदान जारी करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन-प्रपत्र

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वक्फ बोर्ड का नाम और पता:
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम दूरभाष, फ़ैक्स नं. तथा ई-मेल सहित:
3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वक्फ का मुतावल्ली स्वरूप प्रचलन में है या नहीं ? :
4. क्षेत्रीय/जोनल कार्यालय स्थापित है या नहीं (कर्मचारियों की संख्या).....
5. दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत औकाफ (संपत्ति) की कुल सं.:
6. वामसी (डब्ल्यूएएमएसआई) में प्रविष्टि की गई परिसंपत्तियों की कुल सं.:.....
7. वक्फ बोर्ड में उपलब्ध हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ब्यौरे (स्थिति रिपोर्ट) :
8. वक्फ बोर्ड में जिन कर्मचारियों को कम्प्यूटर संचालन का प्रशिक्षण आवश्यक है उन कर्मचारियों की संख्या, उनके नाम और पदनाम :
9. बोर्ड में वर्तमान में उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या ? :
10. क्या इन्टरनेट और ई-मेल सुविधा उपलब्ध है ? :.....
11. क्या बोर्ड में एक छोटा सर्वर रूम और वतानुकूलित कम्प्यूटर कक्ष है ? :
12. क्या बोर्ड परिसर के भीतर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एल ए एन) उपलब्ध है? :
13. क्या सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ई-मेल आई डी उपलब्ध हैं ? :
14. कम्प्यूटरीकरण की वर्तमान स्थिति संबंधी स्थिति नोट :

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम
राज्य वक्फ बोर्ड

नोट : यदि आवश्यक हो तो अलग शीट का प्रयोग करें।

[पैरा : 5.4 के संदर्भ में]

प्रधान सचिव/सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थिति रिपोर्ट

1. वक्फ बोर्ड के प्रधान सचिव का नाम, दूरभाष नं. एवं ई-मेल आईडी सहित:
2. क्या पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किया गया है :
3. यदि बोर्ड के वार्षिक लेखों की समय पर लेखा परीक्षा की जा रही है :
4. यदि हां तो किस वर्ष तक, लेखा परीक्षा पूरी हो गई है :
5. क्या वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का समयबद्ध सर्वेक्षण किया जा रहा है:
6. यदि हां तो औकाफ द्वारा पिछली बार सर्वेक्षण आयुक्त को कब नियुक्त किया था:
7. पिछले 3 वर्षों के दौरान वक्फ बोर्ड का औसत वार्षिक आय (आंकड़े लाख में) :
- (2014--2015)
- (2015--2016)
- (2016--2017)
8. 31.03.2017 के अनुसार पिछले 3 वर्षों के लिए प्राप्त सहायता अनुदान और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (आंकड़े लाख में) :
प्राप्त सहायता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र
सहायता-अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र
(2014--2015)
- (2015--2016)
- (2016--2017)
9. अगले वित्त वर्ष के अप्रैल के अंत तक निधियों के उपयोग के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र अग्रेषित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति :
10. क्या इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समिति गठित की गई है :

हस्ताक्षर
प्रधान सचिव/सचिव
राज्य सरकार का विभाग

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य वक्फ बोर्ड

नोट : यदि आवश्यक हो तो अलग शीट का प्रयोग करें।